




न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट खण्ड कोटकासिम अलवर

अनवान ..... बनाम .....  
 किस्म मुकदमा ..... मु०नं० ..... सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	
09..06.2021	<p>प्रार्थी मय वकील उपस्थित। प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट के तहत पेश किया। दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावे। आयन्दा पत्रावली दिनांक 12.07.2021 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">                       उपखण्ड अधिकारी                      कोटकासिम                 </p> <p style="text-align: center;">                       उपखण्ड अधिकारी                      कोटकासिम (अलवर)                 </p>	<p style="text-align: center;">शैशनी</p> <p style="text-align: center;">I.d                      Faujan                      9/21  </p>

30<sup>6</sup>/  
21

प्रार्थीया को प्रार्थना पत्र पर फावली पेश  
 हुई। प्रार्थीया को प्रार्थना पत्र पेश कर  
 कालजा वाए रजिस्ट्री करवा लिया है।  
 उपरोक्त प्रार्थना पत्र को. द्या. 212 R.T. Act.  
 की प्रावधिज किया जाता है। फावली केसब  
 सुनार होकर नवंबर से क्या से क्या वाए  
 न्यायालय (अलवर) वाए हो।

